8.10.2021	पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान कैम्प 2021 ग्राम पंचायत मुख्यालय डुकावली पर पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट को सुना गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की पेश की है कि नामान्तकरण सं. 94 दिनांक 22-10-1977 ग्राम कंचनपुर तलहटी तह० मासलपुर दर्ज करते समय

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल ...	... हुक्म ... में जारी ...
	पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण मे रमेश के स्थान पर गणेश बिना किसी आधार के गलत तौर पर दर्ज किया है। अपीलान्ट का सही नाम रमेश है। गिरदावर व ग्राम पंचायत डुकावली द्वारा भी अपीलान्ट के नाम बावत कोई जांच नही की गयी है। अपीलान्ट के समस्त दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक मे नाम रमेश दर्ज है जो सही है। अपीलान्ट अपना नाम नामान्तकरण मे गणेश के स्थान पर रमेश संशोधित कराने का अधिकारी है। नामान्तकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 5-2-2020 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई है। दिनांक 22-10-77 से दिनांक 5-2-2020 के समय को माफ करने का प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधि० मय शपथ पत्र के अपील के साथ प्रस्तुत किया है। अन्त मे अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट ने बहस मे पर्जतथ्यो को दोहराते हुये नामान्तकरण सं० 94 दिनांक 22-10-77 मे अपीलान्ट का नाम गणेश के स्थान पर रमेश संशोधित करने का निवेदन किया है। बहस वकील अपीलान्ट का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात से अपीलान्ट का नाम गणेश के स्थान पर रमेश सही होना प्रकट होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 94	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 22-10-1977 वाके ग्राम केंथनपुर हलका तहसील मासलपुर मे अपीलान्ट का नाम गणेश के स्थान पर रमेश संशोधित कराने का अपीलान्ट अधिकारी है। तहसीलदार मासलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह उक्त नामान्तकरण मे अपीलान्ट का नाम गणेश के स्थान पर रमेश संशोधित कर दर्ज करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मासलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.01.11 10:46:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner